अनुदान संख्या 4 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
GRANT No. 4–MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1194,32,00	1194,33,00	1078,82,90	–115,50,10
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				115,44,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		5,31,00	1,31,00	–4,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"				
ग्राम तथा लघु उद्योग	Village and Small Industries				
मू.	O.	108712.00	107888.12	107882.90	–5.22
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–824.88			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	North Eastern Areas				
मू.	O.	10720.00	0.88	. .	–0.88
पु.	R.	–10719.12			

(I) 16570.00 लाख रु. का प्रावधान सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 16380.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2851" - "अन्य ग्राम उद्योग" -

(क) "आरईजीपी का पुनर्गठन" - 4500.00 लाख रु.;

(ख) "खादी बुनकरों के लिए कार्यशाला एवं आवास स्कीमें" - 450.00 लाख रु.;

(ग) "खादी उद्योगों और शिल्पकारों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने संबंधी स्कीम" - 450.00 लाख रु.; और

(घ) "खादी संस्थाओं के लिए अवसंरचना विकास संबंधी पैकेज और कमजोर संस्थाओं के लिए परिचर्या निधि" - 450.00 लाख रु.।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "ग्राम तथा लघु उद्योग - खादी तथा ग्राम उद्योग" -

(i) "खादी उद्योग" - 1290.00 लाख रु.;

(ii) "ग्राम उद्योग" - 450.00 लाख रु.; और

(ख) "ग्राम तथा लघु उद्योग - नारियल रेशा उद्योग" -

(i) "नारियल रेशा बोर्ड" - 130.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.16570.00 lakhs remained wholly unutilised under seventeen heads; of these Rs.16380.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2851" – "Other Village Industries" –

(a) "Restructuring of REGP" – Rs.4500.00 lakhs;

(b) "Workshed-cum-Housing Scheme for Khadi Weavers" – Rs.450.00 lakhs;

(c) "Scheme for Enhancing Productivity and Competitiveness of Khadi Industries and Artisans" – Rs.450.00 lakhs; and

(d) "Package for Developing Infrastructure for Khadi Institutions and including Nursing Fund for Weak Institutions" – Rs.450.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to non-approval of the scheme.

(B) Major Head "2552" –

(a) "Village and Small Industries – Khadi and Village Industries" -

(i) "Khadi Industries" - Rs.1290.00 lakhs;

(ii) "Village Industries" - Rs.450.00 lakhs; and

(b) "Village and Small Industries – Coir Industries" -

(i) "Coir Board" – Rs.130.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(ii) ''नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन'' - 250.00 लाख रु. स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण थे।

(ii) "Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation" – Rs.250.00 lakhs- due to late approval of the scheme.

(ग) ''ग्राम तथा लघु उद्योग - रोजगार स्कीम अनियोजित शिक्षित युवा - प्रधान मंत्री रोजगार योजना'' - 3200.00 लाख रु.;

(c) "Village and Small Industries - Employment Scheme Unemployed Educated Youth - Prime Minister's Rojgar Yojana" – Rs.3200.00 lakhs;

(घ) ''ग्राम तथा लघु उद्योग - अन्य ग्राम उद्योग'' -

(d) "Village and Small Industries – Other Village Industries" –

(i) ''ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम'' - 4450.00 लाख रु.; और

(i) "Rural Employment Generation Programme" - Rs.4450.00 lakhs; and

(ii) ''पारंपरिक उद्योगों के पुन: सृजन के लिए निधियों की स्कीम'' - 260.00 लाख रु.।

(ii) "Scheme of funds for Regeneration of Traditional Industries" - Rs.260.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iii) ''ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का पुनर्गठन'' - 500.00 लाख रु. स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण थे।

(iii) "Restructuring of REGP" – Rs.500.00 lakhs – due to late approval of the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''खादी और ग्राम उद्योग - खादी और ग्राम उद्योग आयोग'' - 971.00 लाख रु. की बचत (25541.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने और व्यय की गति धीमी होने के कारण हुई।

(A) "Khadi and Village Industries-Khadi and Village Industries Commission" - saving of Rs.971.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.25541.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year and slow pace of expenditure.

(खा) ''नारियल रेशा उद्योग'' -

(B) "Coir Industries" -

(क) ''नारियल रेशा बोर्ड'' - 200.00 लाख रु. की बचत (2421.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की गति धीमी होने के कारण हुई।

(a) "Coir Board" – saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2421.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure.

(ख) ''नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन'' - 1350.00 लाख रु. की बचत (2250.00 लाख रु. के

(b) "Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation" – saving of

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य ग्रामीण उद्योग'' -

(क) ''पारंपरिक उद्योगों के पुन: सृजन के लिए निधियों की स्कीम'' - 809.00 लाख रु. की बचत (2340.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल की कमी की वजह से नोडीय अभिकरणों द्वारा व्यय की धीमी गति होने के कारण हुई।

(ख) ''महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान'' - 120.00 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान का प्रचालन परियोजना के रूप में किए जाने और संस्थान में कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''अनियोजित शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्कीम - प्रधान मंत्री रोजगार योजना''- 3072.90 लाख रु. का अधिक व्यय (28800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) ''अन्य ग्राम उद्योग - ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम - उच्च अधिकारप्राप्त समिति की सिफारिश लागू किया जाना'' - 5488.00 लाख रु. का अधिक व्यय (40050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Rs.1350.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2250.00 lakhs) was due to delayed approval of the scheme.

(C) "Other Village Industries" –

(a) "Scheme of Funds for Regeneration of Traditional Industries" – saving of Rs.809.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2340.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure by nodal agencies owing to lack of inter-action among the implementing agencies and State Governments.

(b) "Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialisation" - saving of Rs.120.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to operation of the institute in project mode and non-approval of proposal for appointment of staff in the Institute.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2851" - under the following heads:-

(A) "Employment Scheme for Unemployed Educated Youth – Prime Minister's Rozgar Yojana" – excess of Rs.3072.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28800.00 lakhs); and

(B) "Other Village Industries – Rural Employment Generation Programme – Implementation of Recommendation of HPC" - excess of Rs.5488.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.40050.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

शीर्ष		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''6552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Head Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas			
मू.	O.	400.00	. .	. . . .
पु.	R.	–400.00		

(I) 400.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 300.00 लाख रु. अकेले ''ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज - खादी तथा ग्राम उद्योग - खादी के विकास के लिए कर्ज'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.400.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.300.00 lakhs alone accounted for under "Loan for Village and Small Industries – Khadi and Village Industries – Loans for Development of Khadi" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Regional and Sikkim and surrender of the balance amount.